

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद -टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग (8.00 कि०मी०) हेतु 5.3025 है० अपेक्षित वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड़, टिहरी गढ़वाल को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	5 3025 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	3.78 हैक्टर आरक्षित वन भूमि कान्डा-क०स०-4 व 5.6 0.42 हैक्टर आरक्षित वन भूमि कोटी किमोई-क०स०-11 1.1025 हैक्टर सि०सो० वन भूमि ग्राम किमोई 5.3025 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.30 से 0.50
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जायें)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 913 वृक्ष वाधित हैं। इन वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची संलग्नक- 35 से 48 तक प्रस्ताव पर चर्या है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूवैज्ञानिक, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून की दिनांक 14 मार्च 2008 की भू-गर्भीय आख्या संलग्नक-21 से 23 तक प्रस्ताव पर चर्या है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि मगरा वीट के कान्डा कक्ष क०स०-4 व 5 तथा मसूरी वन्य जीव विहार के कोटी किमोई ब्लॉक क०स०-11 के अन्तर्गत एवं इन सीमाओं से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वॉर्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रथम कि०मी० के (600 मी०) भाग मसूरी वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पड़ता है। शेष भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव विहार का हिस्सा नहीं है। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावक संलग्नक-49 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वोद्य/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं

प्रभावी वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 56 पर संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं गानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक-61, एवं 62 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक-61, एवं 62 पर चस्पा है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक-62 ए पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के वितरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹0 8,16,000.00 (₹0 आठ लाख सौलह हजार मात्र) परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्नक 62 ए पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	₹0 8,16,000.00 (₹0 आठ लाख सौलह हजार मात्र) तथा परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्नक ₹0 8,00,000.00 (₹0 आठ लाख मात्र) प्रस्ताव के संलग्नक 61 एवं 62ए पर चस्पा है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक- 12 से 14 पर है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, जो कि संलग्नक-14 ए पर की गई संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्न है।

12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग / जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 63 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 558.5067 है० है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 428.5745 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर-	(क) 119.5422 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 193.64 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अध्याहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.02.2011 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 28 मार्च, 2011 ।

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:-

(राम गोपाल)
प्रमुख वनीकारी
सरकारी मुहर
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

89

भाग- III
(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)।

14.	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका, सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।	
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक मांग की गई, सूचना और उप वन संरक्षकों के सुझावों से सहमत है।	
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर:

19

कार्य का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग— IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये)।	
-----	--	--

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर:

कार्य का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग – V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव और राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)।

18.	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या अधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)	
-----	---	--

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर: